रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
27 JUL 1970
GOVERNMENT OF

सं 113] नई दिल्ली, शनिवार, जून 27, 1970/आषाढ़ 6, 1892

No. 113] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 27, 1970/ASADHA 6, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 27th June 1970

SUBJECT :—*Import Policy for Registered Exporters for the period April 1970 March 1971 (Amendment No. 13)*

No. 92-ITC(PN)/70.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in Volume II of the Import Trade Control Policy Book (Red Book) for the year April 1970-March, 1971 issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 48-ITC(PN)/70 dated 31st March 1970.

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below:—

Page No. of the Red Book (Vol. II)		Reference	Amendments
1	2	3	4
1.	47	A-41·1 & A. 41·2 Co. 4	The existing entries at (a) against these serial numbers may be substituted as follows:— "(a) Deep Drawing quality mat-finished tinplate". (These amendments will be effective from 1-4-1970).
2.	51-52	A. 50·3 Col. 4	After the existing entry at (u), the following may be added :— "(v) SURFACE LUBRICANT—PRIMOL 325 OR SHELL ONDINA 17".
3.	87	A. 136·1 Col. 4	After the existing entry at (b), the following may be added :— "(c) CRCA Sheets".
4.	106-107	B. 11·1 Col. 5	The existing entry under Col. 5 at (v) may be substituted by the following :— "(v) Citric acid—against Sodium or Potassium citrate, IP or BP, and against Ferric Ammonium Citrate."
5.	109	B. 11·9	After the existing entry at B. 11·9, the following may be added under column 1 to 4 :—

1	2	3	4
		B. 11·10	Ferrouns Sulphate B.P., 5% Magnesium Carbonate P.B. (a) Sulphur
6.	113	B. 27·12 Col. 4	After the existing entry (c) the following may be added :— "(d) BARIUM PEROXIDE".
7.	117	B. 31·11 Col. 4	The following may be inserted :— "(a) E.C. Grade Aluminium."
8.	126	B. 56·3 Col. 4	After the existing entry at (k), the following may be added :— "(l) PERFORATED GUMMED TAPE (m) PARAFORMALDEHYDE".
9.	129	B. 62·4 Col. 5	The following may be inserted :— (i) Agaist export of 'V' belts, import of the following may be allowed :— (*i*) Microcystalline Wax. (*ii*) Nylon Filament Yarn (50%) (*iii*) Oil refinery Product used as softener. (*iv*) Rubber stabilizer (other than banned items).
10.	130-131	B. 62·6 Col. 4	After the existing entry at (v) the following may be added :— (w) Finally divided wood cellulose (or Solka Floc) against export of rubber cots and aprons.

1	2	3	4
11.	182	I. 1·1 and I. 1·2 / Col. 2	The existing percentage mentioned against these two serial number may be amended to read as "5%".
12.	182	I. 1·1 / Col. 4	After the existing entry at (c), the following may be added:— "(d) Tinplate, see remark (3)"
13.	182	I. 1·1 / Col. 5	After remark (2), the following may be added :— "(3) Import of tinplate may be allowed only in favour of a fabricator of tinplate containers and that nomination may be made in favour of only such manufacturers".
14.	182	I. 1·2 / Col. 4	After the existing entry at (a), the following may be added :— "(b) Tinplate, See remark (1)".
15.	182	I. 1·2 / Col. 5	The following remarks may be inserted :— "(1) Import of Tinplate may be allowed only in favour of fabricator of tinplate containers and that nomination may be made in favour of only such manufacturers."
		N.B.—The amendments referred to at serial numbers 11 to 15 above will be effective from 1-4-1970.	
16.	189	L. 4 / Col. 2	The existing entry in Col. 2 (Woollen/worsted yarn) may be corrected to read as follows:— "Woollen-Worsted Yarn".
17.	221	X	After the existing product group "X" the following new product group may be added :—

'Y. MISCELLANEOUS EXPORT PRODUCTS

1	2	3	4	5
Y.1	Galvanised Iron Wire	15%	(a) Zinc unwrought	(1) Import permissible against export of the product mentioned in Col. 2 will only be one tonne of Zinc unwrought, for every thirteen tonnes of G.I. wire exported within the overall limit of 15% indicated in Col. 3. (2) No nomination except of a manufacturer of G. I. wire is permissible against export of G. I. wire. (3) The registering authority would be the Engineering Export Promotion Council, Calcutta (4) This will come into force from 1-4-1970.
Y.2	Dewaxed decolourised shellacs	1%	(a) Phosphoric acid activated carbon	1. The registering authority will be Shellac E.P. Council. 2. This will come into effect from 1-4-1970.

3. Consequent to the amendments referred to at serial numbers 5, 16, and 17 above, the following changes may be made in the Index of the above Red Book :—

(i) The entry "Ferrous Sulphate B.P., Magnesium Carbonate B.P..... B. 11. 10" may be inserted alphabetically under the Product Group "B. CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS."

(ii) The entry "Woollen worsted yarn appearing on page xcvi of the Index under the Product Group L. WOOLLEN TEXTILES, HOSIERY AND MIXED FABRICS" may be amended to read as "Woollen-Worsted Yarn".

(iii) The following may be inserted at the end of the Index :—

Y. MISCELLANEOUS EXPORT PRODUCTS

Dewaxed decolourised shellacs.....Y.2

Galvanised Iron Wire.....Y. 1

4. The following items are classifiable under the products groups mentioned below and fall under the respective serial numbers shown against each :—

A. ENGINEERING GOODS.

1.	Chain adjuster	A. 4. 2
2.	Tinplate tops and bottom for dry cells	A. 50. 1
3.	Ball valves Non ferrous for sanitary fittings (This will be applicable in respect of export effected on or after 1st April 1970.	A 66 17
4.	Lamp brackets (for bicycles)	A. 152. 2

G. PROCESSED FOODS.

Mango flakes		G. 16. 3

Q. STAINLESS STEEL PRODUCTS.

Stainless steel welded tubes		Q. 1

5. The items mentioned in para 4 above may be inserted alphabetically at the appropriate places in the Index of the above Red Book under the Relevant product groups.

6. The entry "Ball valves" appearing on page vii of the Index may be amended to read as "Ball valves (ferrous)."

NOTE : This amendment will be applicable in respect of exported effectes on or after 1.4.1970.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 27 जून, 1970

विषय :—अप्रैल, 1970—मार्च, 1971 की अवधि के लिये पंजीकृत निर्यातकों के लिये आयात नीति (संशोधन सं० 13)

सं० 92 आई० टी० सी० (पी एन)/70 :— पंजीकृत निर्यातकों का ध्यान अप्रैल, 1970—मार्च, 1971 की आयात नीति जो कि आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रैड बुक भाग II) में, अन्तर्विष्ट है और जिसे विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या—48 आई० टी० सी० (पी एन)/70, दिनांक 31—3—70 के अन्तर्गत जारी किया जा चुका है, की ओर आकर्षित किया जाता

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे लिए अनुसार उपयुक्त स्थानों पर किये जाएं :—

रैड बुक वल्यूम II की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1.47	ए. 41.1 तथा ए. 41.2	इन क्रम संख्याओं के लिए वर्तमान प्रविष्टि (ए) को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाए—
	कालम 4	"(ए) डीप ड्राईंग क्वालिटी मैट तैयार टिन प्लेटें।" (ये संशोधन 1-4-1970 से लागू होंगे)
2.51 52	ए. 50.3	वर्तमान प्रविष्टि (यू) के बाद इन को जोड़ दिया जाए :—
	कालम 4	"(5) सर्फेस लुब्रीकैन्ट प्रिमोल 325 अथवा शेल ओनडीना 17"
3.87	ए. 136.1	वर्तमान प्रविष्टि (बी) के बाद इन को जोड़ा जाए :—
	कालम 4	"(सी) सी आर सी ए शीट्स"
4.106-107	बी. 11.1	वर्तमान प्रविष्टि कालम पांच के अन्तर्गत (बी) को इस प्रकार विस्थापित किया जाए :—
	कालम 5	"(5) सोडियम या पोटेशियम एसीड साइट्रेट, आई पी या बी पी के लिए और फेरिक अमोनियम साइट्रेट के लिए साइट्रिक एसीड"
5.109	बी. 11.9	वर्तमान प्रविष्टि बी. 11.9 के बाद, कालम 1 से 4 के अन्तर्गत निम्नलिखित को जोड़ा' जाए :—

1	2	3	4
	बी. 11.10	फैरोन्स सल्फेट बी पी, मैग्नीजियम कार्बोनेट बी पी	पांच प्रतिशत (ए) सल्फर
6.113	बी. 27.12	वर्तमान प्रविष्टि (सी) के बाद इन को जोड़ा जाए:—	
	कालम 4	"(डी) बैरियम पैराक्साइड"	
7.117	बी. 31.11	निम्नलिखित को हटा दिया जाए :—	
	कालम 4	"(ए) ई० सी० ग्रेड आलमुनियम"	

1	2	3
8.126	बी.56.3 कालम 4	वर्तमान प्रविष्टि (के) के बाद इन को जोड़ा जाए :— "(एल) परफारेटेड गम्मड टेप (एम) पारा-फार्मालिहहिदे"।
9.129	बी.62.4 कालम 5	निम्नलिखित को हटा दिया जाए :— (1) "5" बैल्ट्स के निर्यात के लिए निम्न लिखित के आयात की स्वीकृति दी जाए :— (1) माइक्रोसाइटेलाइन वाक्स (2) नाइलोन फिल्मेन्ट यार्न (50 प्रतिशत)। (3) तेल परिशोध उत्पाद जो मुलायम करने में प्रयुक्त होता है । (4) रबर स्थिर करने वाले (प्रतिबंधित मदों के अतिरिक्त)
10.130—131	बी.62.6 कालम 4	वर्तमान प्रविष्टि (बी) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाए :— (डब्लयू) अग्नि से बटा हुआ वुड सैलुलोज/रबर कार्ड्स तथा एप्रन के निर्यात के लिए।
11.182	आई.1.1 आई 1.2 कालम 2	इन दो क्रम संख्याओं के लिए उल्लिखित वर्तमान प्रतिशत को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जाए :— "पांच प्रतिशत"
12.182	आई.1.1 कालम 4	वर्तमान प्रविष्टि (सी) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाए :— "(डी) टिनप्लेट, टिप्पणी (3) देखें"
13.182	आई.1.1 कालम 5	टिप्पणी (2) के बाद, निम्नलिखित को जोड़ा जाए :— "(3) टिन प्लेट के आयात की स्वीकृति केवल टिन-प्लेट के डिब्बों के निर्माण कर्त्ता को दी जाए तथा वह मनोनय केवल इस प्रकार के निर्माण कर्ता के नाम से किया जाए ।"
14.182	आई.1.2 कालम 4	वर्तमान प्रविष्टि (ए) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाए :— "(बी) टिन प्लेट, टिप्पणी (1) देखिए"

1	2	3
15.182	आई. 1.2 ——————— कालम 5	इन टिप्पणियों को प्रविष्ट किया जाए :— "(1) टिन प्लेट के आयात की स्वीकृति केवल टिन प्लेट के निर्माण कर्त्ता को दी जाए तथा वह मनोनय केवल इस प्रकार के निर्माण कर्त्ता के नाम दिया जाए ।

टिप्पणी :—ऊपर की क्रम संख्या 11 से 15 में निर्दिष्ट किए गए संशोधन 1—4—1970 से लागू होंगे ।

16.189	एल. 4 ——————— कालम 2	वर्तमान प्रविष्टि कालम 2 (बूल्लन/वर्स्टेड यार्न) को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाए :— "बूल्लन-वर्स्टेड यार्न"
17.221	X	वर्तमान उत्पाद वर्ग "X" के बाद निम्नलिखित उत्पाद वर्ग को जोड़ा जाए :—

'वाई विविध निर्यात उत्पाद

1	2	3	4	5
वाई 1	जस्तेदार लौहतार	15 प्रतिशत	(ए) जिंक अनग्रौट	कालम 2 में उल्लिखित उत्पाद के निर्यात के लिए स्वीकृत आयात कालम 3 में बताए गए 15 प्रतिशत की कुल सीमा के भीतर निर्यात किए गए जस्तेदार लौहतार के प्रत्येक 13 टन के लिए जिंक अनग्रौट का केवल एक टन होगा । (2) जस्तेदार लौहतार के निर्यात के लिए जस्तेदार लौहतार के विनिर्माण कर्त्ता के अतिरिक्त किसी का भी मनोनय स्वीकृत नहीं है । (3) अभियंत्रण निर्यात प्रगति समिति कलकत्ता, पंजीयन प्राधिकारी होगा । (4) यह 1—4—1970 से लागू होगा ।
वाई 2	डिवेनसड डिक्लोरायज्ड रोलेक्स	1 प्रतिशत	(ए) फास्फो-रोलेक्स रिक एसड उप्प्रेरित कार्बन ।	निर्यात प्रगति समिति पंजीयन प्राधिकारी होगी । (2) यह 1—4—1970 से लागू होगा ।

3. ऊपर निर्दिष्ट क्रमसंख्या 5, 16 तथा 17 के संशोधनों के परिणाम स्वरूप, रेड बुक के अभिसूचक में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएं :—

(1) प्रविष्टि फेरस सल्फेट बी० पी०, मैगनिसियम कार्बोनेट बी० पी. . .बी, 11.10 को निर्यात वर्ग "बी० रसायन तथा संबद्ध उत्पादों" के अन्तर्गत वर्णमाला के अनुसार बढ़ा दिया जाए ।

(2) प्रविष्टि "वूल्लन/वर्स्टेड यार्न पृष्ठ 96 के अभिसूचक" एल ऊनी वस्त्र, मोजे बनियान तथा मिश्रित धागे उत्पाद वर्ग के अन्तर्गत हैं, उनको संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जाए "वूल्लन वर्स्टेड यार्न" ।

(3) अभिसूचक के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाए :—

वाई० विविध निर्यात उत्पाद

डिवेक्सड डिक्लोराइड शेलेक्स . . वाई–2

जस्तेदार लौहतार . . . वाई–1

4. निम्नलिखित मदें, जो नीचे दिये गये उत्पाद वर्ग के अन्तर्गत आती हैं, वर्गीकरणीय हैं तथा उनके सामने बताई गई क्रम संख्या के अन्तर्गत आती हैं ।

ए० अभियंत्रण माल

1. चेन बट्टर ए 4.2

2. सूखे सैलों के ऊपर तथा नीचे के टिन प्लेट . . ए 50.1

3. गोल वाल्व (नान-फेरस) नल समान के लिए . ए 66.17

(1 अप्रैल, 1970 को अथवा उसके बाद निर्यात के लिए लागू होगा)

4. लैम्प ब्रेकेट्स (साइकिलों के लिये) . . ए 152.2

(जी) साधित खाद्यपदार्थ

आम शरकल जी 16.3

(क्यू) अविकारी इस्पात उत्पाद

अविकारी इस्पात से ढली हुई ट्यूबें . . . क्यू–1

5. ऊपर के पारा 4 में उल्लिखित मदों को उपर्युक्त रैड बुक के अभिसूचक में संबद्ध उत्पाद वर्ग के अन्तर्गत उपयुक्त स्थानों पर वर्णमाला के अनुसार रखा जाए :—

6. सूचक के पृष्ठ 7 पर जो प्रविष्टि "गोल वाल्व्स" दिखाया गया है, उसे संशोधित कर "गोल वाल्व" (फैरस) पढ़ा जाए :—

टिप्पणी:—यह संशोधन 1–4–1970 अथवा उसके बाद हुए निर्यात के लिए लागू होगा ।

SUBJECT.—*Import of goods as personal baggage under the Baggage Rules.*

No. 93-ITC(PN)/70.—Attention is invited to the Ministry of Finance Department of Revenue and Insurance, New Delhi Notification No. 50-Customs/F.No.5/20/70-Cus. VI dated the 27th May, 1970 in which the Baggage Rules, 1970 applicable to passengers (other than tourists) arriving from any country other than Ceylon, Pakistan or Nepal, have been announced.

2. It has been decided that, in addition to the baggage allowed to be imported free of duty under the aforesaid Baggage Rules dated the 27th May 1970, a passenger who arrives from any country other than Ceylon, Pakistan or Nepal, may also be allowed to import, at the discretion of the Assistant Collector of Customs, without import licence or customs clearance permit, but on payment of Customs duties, the following articles as baggage, namely:—

(i) One television set if the passenger affirms to a declaration that:

(a) he or any member of his family has not imported, locally purchased, or otherwise acquired a television set during the last five years;

(b) he is normally residing in a place within the range of television broadcasts of AIR,

and the Assistant Collector of Customs has no reason to suspect the truth of this declaration.

OR

(ii) A passenger not bringing a television set may be permitted to import any one of the following articles, namely, a watch or a camera in excess of the free allowance, tape recorder, amplifier, movie camera, movie projector or golf club set.

OR

(iii) A passenger who has been living continuously abroad for more than three months but less than two years may be permitted to import articles, other than firearms, purchased out of his earning abroad, for a value not exceeding Rupees two hundred and fifty for a stay of each complete month abroad.

3. The concessions in paragraph 2 above may be allowed provided the Assistant Collector of Customs is satisfied that the article is being imported for the *bona-fide* use of the passenger or his family.

4. Under no circumstances, the goods allowed clearance under the provisions of this Public Notice will be sold or otherwise disposed of within a period of five years from the date of clearance.

5. The provisions of this Public Notice will come into force on the 27th June, 1970 from which date the provisions referred to or made in paragraphs 2 and 3 of the late Ministry of Commerce and Industry Public Notice No. 1-ITC(PN)/61 dated the 2nd January, 1961 may be deemed to have been cancelled.

विषय :—असबाब नियमावली के अधीन व्यक्तिगत असबाब के रूप में माल का आयात ।

सं० 93-आई टी सी/(पी० एन)/70:—वित्त मंत्रालय, राजस्व तथा बीमा विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना सं० 50-सीमाशुल्क/फा० सं० 5/20/70 सीमाशुल्क VI दिनांक 27 मई, 1970 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें श्रीलंका, पाकिस्तान अथवा नेपाल से आने वाले (पर्यटकों से भिन्न) यात्रियों के संबंध में प्रवर्तमान असबाब नियमावली, 1970 की घोषणा की गयी है ।

2. यह निर्णय किया गया है कि श्रीलंका, पाकिस्तान अथवा नेपाल को छोड़ कर अन्य देशों से आने वाले यात्री 27 मई, 1970 की उपर्युक्त असबाब नियमावली के अधीन, बिना शुल्क आयात किये जा सकने योग्य असबाब के पत्रावा, सीमाशुल्क के सहायक समाहर्ता की अनुमति मिलने पर निम्नलिखित

वस्तुओं का भी सीमाशुल्क अदा करके, असबाब के रूप में, आयात कर सकते हैं :—

(i) एक टेलीविजन सेट, अगर यात्री यह अभिघोषणा करता है कि :

(क) उसने अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने पिछले पांच वर्षों में टेलीविजन सेट का न तो आयात किया है और न स्थानीय तौर से खरीद की है और न ही अन्यथा प्रकार से प्राप्त किया है ;

(ख) वह सामान्यतः ऐसे स्थान पर रह रहा हो जो आकाशवाणी के दूरदर्शन प्रसारण की परिधि में है ;

और ऐसे कोई कारण नहीं हों जिनसे सीमाशुल्क के सहायक समाहर्ता को इस घोषणा की सचाई में संदेह हो ।

अथवा

(ii) जो यात्री टेलीविजन सेट नहीं ला रहा हो उसे निम्नलिखित वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को लाने की अनुमति दी जा सकती है जैसे शुल्क नहीं लगने वाले माल के अलावा एक घड़ी अथवा एक कैमरा, टेप रिकार्डर, एम्प्लीफायर, मूवी कमरा, मूवी प्रोजेक्टर अथवा गोल्फ क्लब सेट ।

अथवा

(iii) जो यात्री लगातार तीन महीने से अधिक समय से, लेकिन दो वर्ष से कम समय से, विदेश में रह रहा उसे हथियारों (firearms) को छोड़ कर अन्य वस्तुएं आयात करने की इजाजत दी जा सकती है, जिनका मूल्य उसके विदेश-निवास के प्रत्येक महीने के बदले दो सौ पचास रुपये से अधिक नहीं होगा और जिनकी खरीद उक्त व्यक्ति द्वारा विदेश में अर्जित रकम से की गयी होगी ।

3. ऊपर पैराग्राफ 2 में लिखी रियायतें उस हालत में दी जा सकती हैं, जब सीमाशुल्क के सहायक समाहर्ता को इस बात की तसल्ली हो जाय कि जिस वस्तु का आयात किया जा रहा है, वह उस यात्री अथवा उसके परिवार के वास्तविक उपयोग के लिए है ।

4. इस सार्वजनिक सूचना के उपबंधों के अन्तर्गत जिस माल को आयात करने की परवानगी मिली हो उसे आयात करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के अन्दर, किसी भी हालत में बेचा नहीं जायगा अथवा उसका किसी अन्य तरीके से निपटान नहीं किया जायगा ।

5. इस सार्वजनिक सूचना के उपबंध 27 जून, 1970 से लागू होंगे, जिस तारीख से भूतपूर्व वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की तारीख 2 जनवरी, 1961 की सार्वजनिक सूचना सं० 1–आई० टी० सी० (पी० एम०)/61 के पैराग्राफ 2 और 3 में उल्लिखित अथवा निहित उपबंध रद्द हुए माने जायेंगे ।

SUBJECT.—*Baggage Rules, 1970 for passengers (non-tourists).*

No. 94-ITC(PN)/70.—Attention is invited to Appendix 26 of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure 1970, published under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 66-ITC(PN)/70 dated the 4th May 1970, which contains, *inter-alia*, the following namely:—

(i) Passengers (Non-Tourists) Baggage Rules (pages 420 to 422 of the Hand Book).

(ii) Notice relating to Passengers (Non-Tourists) Baggage Rules, 1960 (pages 424 to 426 of the Hand Book).

2. The Baggage Rules and the Notice to passengers, referred to in paragraph 1 above and appearing in the aforesaid Hand Book may be deemed to have been substituted by the Ministry of Finance, Department of Revenue and Insurance, Notification No. 50-Customs/F. No. 5/20/70-Cus. VI dated the 27th May, 1970 containing the Baggage Rules, 1970 (copy enclosed).

3. The Notification dated the 27th May, 1967 issued by the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), regarding Crew Baggage Rules 1967, reproduced at pages 429-430 of Appendix 26 of the aforesaid Hand Book may be deemed to have been deleted from the Hand Book.

4. The provisions of this Public Notice will come into force on the 27th June, 1970.

(Sd.) R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports & Exports.

S. R. MINOCHA,
Dy. Chief Controller of Imports & Exports.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 27th May, 1970

G.S.R. 861.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 79 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the Passengers (Non-Tourist) Baggage Rules, 1960, and the Crew Baggage Rules, 1967, the Central Government hereby makes the following rules for passing free of duty baggage of passengers (other than tourists) who arrive from any country other than Ceylon, Pakistan or Nepal, namely:—

1. **Short title, commencement and application.**—(1) These rules may be called the Baggage Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the 27th June, 1970.

(3) They shall apply to baggage of all passengers who arrive in India on or after the 27th June, 1970.

2. **Used personal effects.**—The used articles of personal wear (excluding jewellery and wrist watch) and articles in personal use of a passenger for satisfying daily necessities of life may be passed free of duty.

3. **General free allowance.**—In addition to the articles specified in rule 2, an adult passenger may also be allowed to import free of duty articles up to a value of Rs. 500, if the proper officer is satisfied that such articles are for the use of the passenger or his family or for making gifts or souvenirs:

Provided that a passenger below 18 years of age may be allowed to import free of duty articles up to a value of Rs. 125 if the proper officer is satisfied that such articles are for the use of such passenger.

4. **Additional allowance for used household articles.**—In the case of a passenger who has resided abroad in one country for over three months and is returning India within two years of his departure from India articles actually used for running his household, namely linen, utensils, kitchen appliances and iron, up to an aggregate value of Rs. 500 may be passed free of duty.

5. **Allowance for professional tools.**—A Passenger satisfying the condition of residence prescribed in rule 4 may be allowed clearance free of duty of such instruments, apparatus or appliances as are specially designed for use in the profession or calling followed by him and which any person following the same profession or calling would ordinarily carry with him in his professional tour.

6. **Jewellery and wrist watch.**—Jewellery and wrist watch in the actual use of a passenger who has been residing abroad for over one year but less than two years may be allowed clearance free of duty up to the aggregate value of Rs. 500 in the case of a male passenger and Rs. 1,000 in the case of a female passenger.

7. **Unaccompanied baggage.**—(1) Subject to the conditions and limitations laid down in these rules, the proper officer may pass free of duty *bona fide* unaccompanied baggage arriving in India after the arrival of the passenger, if it was in his possession abroad and was shipped by sea within one month or despatched by air within a fortnight of the passenger's arrived in India:

Provided that if the Assistant Collector of Customs or the Collector of Customs or the Board, as the case may be, is satisfied that the passenger could not ship or despatch his *bona fide* unaccompanied baggage within the period aforesaid in spite of his having taken all reasonable steps for that purpose, the Assistant Collector of Customs may extend the time limit of one month to two months or of a fortnight to one month, as the case may be and the Collector of Customs may extend the time limit to six months and the Board may extend up to any further time.

(2) Bona fide baggage of a passenger landed at any Customs station within two months before his arrival in India may be passed free of duty by the proper officer subject to the conditions and limitations laid down in these rules:

Provided that the Assistant Collector of Customs, may, in his discretion, extend the time limit for the arrival of the passenger up to four months and the Collector of Customs may extend up to any further time if the said Assistant Collector or the Collector, as the case may be, is satisfied that the passenger was prevented by sufficient cause from arriving in India within the aforesaid period of two months.

8. **Application of these rules to members of the crew.**—These rules, except rule 4, shall apply, in respect of officers and members of the crew engaged in a foreign-going vessel for clearance of their baggage at the time of final pay off on termination of their engagement:

Provided that the concession under rule 5 shall not be allowed except at the time of final pay off on termination of first engagement in a foreign-going-vessel.

9. **Articles not exempted from duty.**—Notwithstanding the provisions of rules 3 and 4, the following articles shall not be passed free of duty under these rules, namely:—

(i) Air Conditioner.

(ii) Refrigerator.

(iii) Cooking range.

(iv) Washing Machine.

(v) Motor cycle, Scooter and Moped.

(vi) Radio-gram other than battery operated.

(vii) Television Set.

(viii) Tape Recorder other than battery operated.

(ix) Amplifier.

(x) Movie Camera.

(xi) Movie Projector.

(xii) Firearms.

(xiii) Golf Clubs.

(xiv) Cigarettes exceeding 200 or cigars exceeding 50 or Tobacco exceeding 250 grammes.

(xv) Alcoholic liquor in excess of 0.75 litre.

[No. 50-Customs/F.No. 5/20/70-Cus. VI.]

M. G. ABROL, Jt. Secy.

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports & Exports.

विषय : (पर्यटक भिन्न) यात्रियों के लिये असबाब नियमावली 1970 ।

सं० 94 आई० टी० सी० (पी० एन०)/70—विदेश व्यापार मंत्रालय की दिनांक 4 मई 1970 की सार्वजनिक सूचना सं० 66–आई० टी० सी० (पी० एन०)/70 के अधीन प्रकाशित, कार्यविधि नियमावली 1970 की आयात व्यापार नियंत्रण पुस्तिका के परिशिष्ट 26 की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सूचनाएं दी गयी हैं :—

(i) (पर्यटक भिन्न) यात्री असबाब नियमावली (पुस्तिका के पृष्ठ 420 से 422)

(ii) (पर्यटक भिन्न) यात्री असबाब नियमावली 1960 के संबंध में अधिसूचना (पुस्तिका के पृष्ठ 424 से 426)

2. उपर्युक्त पैराग्राफ 1 में उल्लिखित और उक्त पुस्तिका में प्रकाशित असबाब नियमावली तथा यात्रियों के लिये सूचना का स्थान, वित्त मंत्रालय, राजस्व तथा बीमा विभाग की 27 मई 1970 की अधिसूचना सं० 50–सीमाशुल्क/फा० सं० 5/20/70 सी० शु० VI ने ले लिया है, जिनमें असबाब नियमावली 1970 निहित है । (इस नई अधिसूचना की प्रतिलिपि संलग्न है) ।

3. कर्मचारी दल असबाब नियमावली 1967 के संबंध में वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा बीमा विभाग) द्वारा 27 मई 1967 को जारी की गई जो अधिसूचना उक्त पुस्तिका के परिशिष्ट 26 के पृष्ठ 429–430 पर दी गयी है, उसे उक्त पुस्तिका से निकाल दिया गया माना जाय ।

4 इस सार्वजनिक सूचना के उपबंध 27 जून, 1970 से लागू होंगे ।

संलग्नक

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 27 मई, 1970

सा० का० नि० 861 .—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 79 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यात्री (अपर्यटक) सामान नियम, 1960 और कर्मीदल सामान नियम, 1967 को अतिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार, श्रीलंका, पाकिस्तान या नेपाल से भिन्न किसी भी देश से पहुंचने वाले (पर्यटकों से भिन्न) यात्रियों के सामान को निःशुल्क पास करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना**

(1) ये नियम सामान नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये 27 जून, 1970 को प्रवृत होंगे ।

(3) ये उन सब यात्रियों के सामानको लागू होंगे जो भारत में 27 जून, 1970 को या उसके पश्चात पहुंचेंगे ।

2. **उपयोग में लाई गई निजी चीजवस्त**—(रत्नाभूषणों और कलाई घड़ी को छोड़कर) यात्री के निजी पहनावे की उपयोगमें लायी गई वस्तुएं और जीवन की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली निजी उपयोग में लाई गई वस्तुएं निःशुल्क पास की जा सकेंगी ।

3. **साधारण निशुल्क छूट**—नियम 2 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के अतिरिक्त, वयस्थ यात्री को 500 रु० मूल्य तक की वस्तुएं निःशुल्क आयात करने की अनुज्ञा दी जा सकती है यदि समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि ऐसी वस्तुएं यात्री या उसके कुटुम्ब के उपयोग के लिए या दान या स्मृति-उपहार देने के लिए हैं ;

परन्तु 18 वर्ष से कम की आयु के यात्री को 125 रु० तक के मूल्य की वस्तुएं निःशुल्क आयात करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी यदि समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि ऐसी वस्तुएं ऐसे यात्री के उपयोग के लिए हैं ;

4. **उपयोग में लाई गई घरेलू वस्तुओं के लिए अपवाद छूट**—उस यात्री की दशा में जिसने विदेश में एक ही देश में तीन मास से अधिक के लिए निवास किया हो और भारत से अपने जाने के दो वर्ष के भीतर भारत वापस आ रहा हो, 500 रु० तक के कुल मूल्य की वस्तुतः उपयोग में लायी गई घरेलू वस्तुएं अर्थात् बिस्तर, बर्तन, रसोई-साधित्र और इस्तरी निःशुल्क पास की जा सकती हैं,

5. **वृत्तिक प्रयोजनों के लिए छूट**—नियम 4 में विहित निवास की शर्त का पूरा करने वाले यात्रियों को, उपयोग में लाए गए ऐसे यंत्रों, उपकरणों और साधित्रों को, जो उनके द्वारा वृत्तिक या आजीविका में उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं और जिन्हें उसी वृत्ति या आजीविका वाला कोई भी व्यक्ति अपने वृत्तिक दौरे पर सामान्यतः अपने साथ ले जाएगा, निकासी निःशुल्क अनुज्ञात की जा सकती है।

6. **रत्नाभूषण और कलाई घड़ी**—कोई यात्री, जो विदेश में एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष से कम रह रहा हो उसके वस्तुतः उपयोग में पुरुष यात्री की दशा में कुल 500 रु० तक के मूल्य के और महिला यात्री की दशा में कुल 1000रु० तक के मूल्य के रत्नाभूषण और कलाई घड़ी को निकासी निःशुल्क अनुज्ञात की जा सकती है

7. **साथ न लाया गया सामान**—(1) इन नियमों में अधिकथित शर्तों और परिसीमाओं के अध्यधीन समुचित अधिकारी, यात्री के भारत पहुंचने के पश्चात पहुंचने वाले साथ न लाए गए सद्भावी सामान को निशुल्क पास कर सकता है, यदि वह सामान विदेश में उसके कब्जे में रहा हो और यात्री के भारत पहुंचने के एक मास के भीतर पोत द्वारा भेजा गया हो या एक पखवाड़े के भीतर विमान द्वारा प्रेषित किया गया हो :

परन्तु यदि यथास्थिति सीमा शुल्क के सहायक कलक्टर या सीमाशुल्क के कलक्टर या बोर्ड का समाधान हो जाए कि —

यात्री साथ न लाए गए अपने सद्भावी सामान को पूर्वोक्त कालावधि के भीतर उस प्रयोजन के लिए सभी युक्तियुक्त कदम उठाए जानेके बावजूद पोत द्वारा नहीं भेज सका या प्रेषित नहीं कर सका, तो सीमाशुल्क सहायक कलक्टर यथास्थिति एक मासकी समय सीमा को दो मास तक या एक पखवाड़े की समय सीमा को एक मास तक बढ़ा सकता है और सीमा शुल्क कलक्टर समय सीमाओं को छः मास तक बढ़ा सकता है और बोर्ड किसी भी अगले समय तक बढ़ा सकता है ।

(2) किसी यात्री का सद्भावी सामान, जो उसके भारत में पहुंचने के दो महीने पूर्व के भीतर किसी सीमा शुल्क स्टेशन पर उतारा गया हो, इन नियमों में अधिकथित परिसीमाओं और शर्तों के अध्यधीन समुचित अधिकारी द्वारा निःशुल्क पास किया जा सकता है ।

परन्तु यदि यथास्थिति उक्त सहायक कलक्टर या कलक्टर का समाधान हो जाए कि यात्री पूर्वोक्त दो मास की कालावधि में भारत में पहुंचने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था तो सीमा शुल्क सहायक कलक्टर अपने विवेकानुसार यात्री के पहुंचने की समय सीमा को चार मास तक बढ़ा सकता है और सीमा शुल्क कलक्टर सीमा को किसी भी अगले समय तक बढ़ा सकता है ।

8. **इन नियमों का कर्मी वर्ग के सदस्यों को लागू होना**—ये नियम, नियम 4 के सिवाय उन अधिकारियों और कर्मीदल के सदस्यों की बाबत जो विदेश जाने वाले जलयान पर नियुक्त हों, उनकी नियुक्ति के पर्यवसान पर अन्तिम वेतन संदत्त किए जाने के समय सामान की निकासी के लिए लागू होंगे परन्तु नियम 5 के अधीन रियायतें विदेश जाने वाले जलयान में उनकी प्रथम नियुक्ति के पर्यवसान पर अन्तिम वेतन संदत्त किये जाने के समय अनुज्ञात नहीं की जाएंगी ।

9. **वस्तुएं जिन्हें शुल्क से छूट प्राप्त नहीं है**—नियम 3 और 4 के उपबन्धों के होते हुए भी निम्नलिखित वस्तुएं, इन नियमों के अधीन निशुल्क पास नहीं की जाएंगी, अर्थात् :—

(1) वातानुकूलन

(2) रेफ्रिजिरेटर

(3) कुकिंग रेंज

(4) धुलाई मशीन

(5) मोटर साईकल, स्कूटर और मोपेड

(6) रेडियो ग्राम, बैटरी द्वारा प्रचालित से भिन्न

(7) टेलीविजन सेट

(8) टेप रिकार्डर, बैटरी द्वारा प्रचालित से भिन्न

(9) एम्पलीफायर

(10) चलचित्र कैमरा

(11) चलचित्र प्रक्षेपित्र

(12) अग्न्यायुध

(13) गाल्फ क्लब

(14) 200 से अधिक सिग्रेट या 50 से अधिक सिगार या 250 ग्राम से अधिक तम्बाकू ।

(15) 0.75 लिटर से अधिक ऐल्कोहालिक लिकर

[सं० 50-सीमा शुल्क/फा० सं० 5/20/70-सीमा शुल्क VI]

(ह०)एम० जी० अग्रोल,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार ।

आर० जे० रबेलो,
मुख्य नियंत्रक आयात तथा निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970